प्रेस नोट 12/02/2021

<u>अवैध गांजे व जिंदा कारतूस के साथ 03 शातिर तस्कर गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.02.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथिनी पुलिया के पास से तीन व्यक्तियों क्रमशः उमेश कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार, मिंटू कुमार पुत्र श्यामदेव व विजय कुमार पुत्र रवीन्द्र राम निवासीगण रैकवारेडीह थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से 04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा व 02 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 49,50,51,52/21 धारा 8/20 एनडीपीएस व 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 12.02.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 24/21 धारा 363,366,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त मंजर पुत्र मुनव्वर निवासी जहांगीराबाद थाना दक्षिणटोला व परवेज पुत्र जमील निवासी नगपुरा जनपद बलिया, थाना मधुबन पुलिस द्वारा भैरोपुर मंदिर के पास मु0अ0सं0 55/21 धारा 354,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त रितिकेश चौहान पुत्र जयकेश निवासी सिसवा थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 12.02.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा शिवनरायण व सीताराम निवासीगण दशईपोखरा, थाना मधुबन पुलिस द्वारा संदीप निवासी उसरी, विनय कुमार निवासी सारंगपुर, रामनरायण निवासी विग्रहपुर, अमृतलाल निवासी नेवादा थाना घोसी पुलिस द्वारा रमेश, विद्याधर, अरविंद, रोशन निवासीगण पद्मीडांड़, राहुल व सुनील कुमार निवासी करमपुर थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा शिवविलास चौबे, बब्बन सिंह निवासीगण कुर्थीजाफरपुर, यशवंत व राजकुमार निवासीगण कोपाकोहना थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मो0 सुल्तान व धनिराम निवासीगण बड़ी रहजनिया थाना कोतवाली, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा अखिलेश चौहान व विरेन्द्र चौहान निवासीगण भुसुवा थाना रानीपुर मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।